



राजस्थान सरकार

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 164/2021

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-
आदेश

प्रार्थी श्री.....लक्ष्मीनारायण.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....रूपाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....बीनासर.....पटवार मण्डल.....बीनासर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....281.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....लिच्छुराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....लक्ष्मीनारायण.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....बीनासर.....से करवाने पर पटवारी ने.....लिच्छुराम.....के
बजाय.....लक्ष्मीनारायण.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....लिच्छुराम.....
के बजाय.....लक्ष्मीनारायण.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....बीनासर.....
के खाता संख्या.....281.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....लिच्छुराम.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....लक्ष्मीनारायण.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



ना 10 नो 1689

11/11/2021

11/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

